

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

जापांक- 5024907 /

पटना, दिनांक- 06/01/2026

R-503/322/2023-SECTION 14-RDD-RDD

प्रेषक,

नलिन प्रताप राणा,

विशेष कार्य पदाधिकारी।

प्रेषित,

श्री कृष्ण कुमार सिंह,

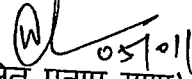
(अनुक्रमांक- 183287)

तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, तरैया, सारण संप्रति निलंबित ।

विषय:- मुख्यालय निर्धारण करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक कहना है कि श्री कृष्ण कुमार सिंह, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, तरैया, सारण संप्रति निलंबित को विभागीय संकल्प सं०- 4672086 दिनांक- 04.10.2025 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम- 9(1) के आलोक में तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए श्री सिंह का मुख्यालय जिला पदाधिकारी, पूर्णिया का कार्यालय निर्धारित किया गया था ।

अतएव श्री कृष्ण कुमार सिंह के आवेदन दिनांक- 08.10.2025 द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में श्री कृष्ण कुमार सिंह, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, तरैया, सारण संप्रति निलंबित का मुख्यालय उप विकास आयुक्त कार्यालय, पटना निर्धारित किया जाता है ।


(नलिन प्रताप राणा)

विशेष कार्य पदाधिकारी

जापांक- 5024907 /

पटना, दिनांक- 06/01/2026

R-503/322/2023-SECTION 14-RDD-RDD

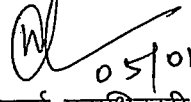
प्रतिलिपि- जिला पदाधिकारी, सारण, जमुई, पटना एवं पूर्णिया/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, सारण, जमुई, पटना एवं पूर्णिया/ मुख्यालय उप विकास आयुक्त कार्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक- 5024907 / पटना, दिनांक- 06/01/2026

R-503/322/2023-SECTION 14-RDD-RDD

प्रतिलिपि- प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-03, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु / आईटीओ मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित ।


05/01/2026
विशेष कार्य पदाधिकारी